ईमेल / अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(29)खा.वि. / आवंटन / 2024–02560 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ई–केवाईसी नहीं करवाने बाबत लाभार्थियों के नाम डिलीट / पुन : ACTIVATE के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 30.12.2024 को केबिनेट बैठक के आयोजन के उपरान्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जिन चयनित लाभार्थियों द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक ई–केवाईसी नहीं करवायी गयी है, उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाने के बिन्दु पर मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुतिकरण कर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गये निर्णय की पालना में जिन लाभार्थियों द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक ई–केवाईसी नहीं करवायी है (10 वर्ष से कम एवं 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा बाईपास राशनकार्ड को छोडकर), उनका नाम विभाग स्तर से खाद्य सुरक्षा योजना से अस्थायी रूप से हटाने (DELETE) किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ई–केवाईसी करवाने पर संबंधित जिला रसद अधिकारी द्वारा पुनः ACTIVATE किये जाने हेतु प्रावधित किया गया है।

अतः उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि :–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों, जिनकी ई–केवाईसी होना अभी शेष है, की ई–केवाईसी करवाना सुनिश्चित किया जाऐं। इस बाबत उचित मूल्य दुकानवार समीक्षा करें तथा व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाऐं,

2– 05–10 आयु वर्ग के लाभार्थियों के आधार अपडेशन पश्चात् ई–केवाईसी कराना सुनिश्चित करें,

3– जिन लाभार्थियों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ई–केवाईसी करवाली जाऐं, उन्हें तत्काल जिला रसद अधिकारी के स्तर से पुनः ACTIVATE किया जाना सुनिश्चित करें,

4– विशेष परिस्थितियों में किसी लाभार्थी के पात्र होने के बावजूद ई–केवासी संभव न हो, तो उनका विवरण अग्रिम कार्यवाही हेतु विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य) महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (खाद्य) को सभी संबंधितों को ई–मेल कराने एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.01.09 18:21:27 IST
Reason: Approved